



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

बोर्ड परीक्षा - 2023 के ऑनलाईन आवेदन पत्रों में रही त्रुटियों के संशोधन बाबत दिशा निर्देश

क्रमांक: सैल-8/2022/14

दिनांक : 18.10.2022

बोर्ड परीक्षा - 2023 के ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरने में रही त्रुटियों को सुधारने का निःशुल्क अवसर दिनांक 18.10.2022 से 10.11.2022 तक बोर्ड द्वारा दिया जा रहा है। ऑनलाईन संशोधन हेतु शाला प्रधान पूर्व प्रदत्त आई.डी./पासवर्ड टाईप कर वेबसाईट खोलें। आवेदन पत्र के बाएँ कोने में स्थित आवेदन पत्र क्रमांक को टाईप करें, तत्पश्चात् जो संशोधन अपेक्षित है सावधानीपूर्वक करें। संशोधन पश्चात् Lock करें तथा संशोधन प्रपत्र मुद्रित करें। एक बार Lock करने के पश्चात् दोबारा किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। प्रत्येक परीक्षार्थी का संशोधन पृथक-पृथक करना है। इस संशोधन प्रपत्र की एक प्रति अपने पास रखते हुए दूसरी प्रति बोर्ड को स्पीड-पोस्ट से प्रेषित करावें। निम्नांकित संशोधन ऑनलाईन किये जा सकते हैं :-

1. पिता व माता के नाम (केवल स्पेलिंग) 2. लिंग (Gender) 3. माध्यम (Medium) 4. बी.पी.एल. (B.P.L.) 5. जाति श्रेणी (Cast Category) 6. पता व फोन नम्बर 7. अन्य (Other Special Code) (टोकन शुल्क वाले अभ्यर्थी को छोड़कर) 8. श्रेणी (Category) 9. पूर्व शैक्षणिक योग्यता 10. फोटो तथा हस्ताक्षर स्कैनिंग 11. पात्रता प्रमाण पत्र क्रमांक/दिनांक इत्यादि।
विशेष नोट :- माध्यमिक परीक्षा में केवल व्यावसायिक विषय में रही त्रुटि के संशोधन अथवा उक्त विषय चयन करने से वंचित रहे वह भी चयन कर सकते हैं।

निम्नांकित संशोधन ऑनलाईन नहीं किये जा सकेंगे :-

1. परीक्षार्थी के नाम एवं जन्मतिथि में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
2. प्रायोगिक विषय जिनमें प्रायोगिक शुल्क अपेक्षित है उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
3. अतिरिक्त विषय (Additional Subject) नहीं जोड़ा जा सकेगा।
4. वर्ग परिवर्तन/प्रायोगिक विषय के कारण संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
5. ऐसे सभी संशोधन जिनमें अतिरिक्त शुल्क अपेक्षित हो, उनमें ऑनलाईन संशोधन नहीं किये जा सकेंगे।

नोट :- परीक्षा आवेदन पत्र में दी गई श्रेणियाँ (1. अल्पसंख्यक 2. अनुसूचित जाति 3. अनुसूचित जनजाति 4 अन्य पिछड़ा वर्ग 5. विशेष पिछड़ा वर्ग) में अथवा जाति की एक से अधिक श्रेणी में से परीक्षार्थी केवल एक ही श्रेणी, जिसका वह पुरस्कार/छात्रवृत्ति या अन्य लाभ लेना चाहता है, उसका चयन कर सकेगा। परीक्षार्थी को आवेदन-पत्र में भरी गई जाति/श्रेणी में ही लाभ दिया जायेगा अन्य श्रेणी में नहीं जाति संबंधी संशोधनों को उक्त अवधि में ऑनलाईन संशोधित करना अनिवार्य है उसके पश्चात् जाति/श्रेणी में संशोधन नहीं किया जायेगा। उपरोक्त क्रमांक 1 से 5 तक के संशोधन विद्यालय रिकार्ड एवं आवश्यक शुल्क के बैंक ड्राफ्ट सहित बोर्ड को स्पीड-पोस्ट द्वारा भेजे जा सकेंगे। सभी शाला प्रधानों द्वारा ऑनलाईन संशोधन करना अनिवार्य है। संशोधन पश्चात् ऑनलाईन मुद्रित संशोधन प्रपत्र बोर्ड कार्यालय को स्पीड-पोस्ट द्वारा आवश्यक रूप से भेजा जावे। अन्य जानकारी हेतु बोर्ड कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 0145-2632866, 2632867, 2632868 पर अथवा ए.सी.पी. के दूरभाष नम्बर 0145-2627454 पर सम्पर्क करें। Email ID ddexamfirst@gmail.com

सचिव